



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 82,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्कुरा में पंजीकृत मु०अ०सं०-128/2022 धारा-363,376डीए,324,450 भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र बृजेन्द्र 2.अनिल पुत्र अशोक 3. पुन्नू उर्फ धर्मेन्द्र लोधी पुत्र खलक सिंह 4.कैलाश पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासीगण गहरौली थाना मुस्कुरा जनपद हमीरपुर को धारा 363,376डीए,324,450 भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 82,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी
रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
निरीक्षक विनोद
कुमार



पैरोकार
थाना- मुस्कुरा
का० श्यामनारायण